अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफएसएसए/2018/32| **दिनांकः– 11/5/18**

1. राज्य अभिहित अधिकारी एवं
संयुक्त निदेशक (ग्रा०स्वा०),
मुख्यालय।

2. समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन राजस्थान।

3. समस्त अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
जोन राजस्थान।

4. समस्त अभिहित अधिकारी एवं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के अन्तर्गत "**दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थो**" में मिलावट के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने बाबत्।

संदर्भः– श्रीमान् परशोत्तम रूपाला, माननीय राज्य मंत्री, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार का अर्द्धशासकीय पत्रांक 13–1/2015–डीपी तथा श्री अरिजीत बनर्जी, प्रमुख विशेषाधिकरी, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक Pr.OSD/CM/RAJ /M&H/18/101246 Dated 26-03-2018.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम और विनियम 2011 के अन्तर्गत सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्ता का **दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ** उपभोक्ताओं एवं विशेष रूप से बच्चो को उपलब्ध करावाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस सम्बंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

i. आप अपने क्षेत्र में उपरोक्त निर्देशो की पालना हेतु विशेष कार्यप्रणाली विकसित करे तथा इनकी उत्पादन, भण्डारण, वितरण, बिक्री तथा आयात पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

ii. सम्भाग/जिले/केन्द्रीय दल, के प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रतिमाह **दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के** 05 निरीक्षण व 05 नमूनीकरण का लक्ष्य आवंटित किया जाता है। नमूनीकरण का कार्य एक्ट के तहत कराया जाना सुनिश्चित करें एवं निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जावे।

iii. खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जावे।

iv. इस सम्बंध में उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं करने वाले दोषी व्यक्तियों/खाद्य कारोबारी कर्ताओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

v. दोषी व्यक्तियों/खाद्य कारोबारी कर्ताओ के विरूद्ध जो प्रकरण सम्बंधित माननीय न्यायालयों में विचाराधीन है उनमे विभाग का पक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत करे एवं प्रकरण के निर्णित होने तक प्रकरण की पूर्णतः मोनीटरिंग किया जाना सुनिश्चित करे।

आप द्वारा की गई उक्त कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 5 तारीख को, माहवार सूचना के साथ पृथक से एफएसएसए अनुभाग की ईमेल आईडी **fssa.2006@yahoo.com** पर सॉफ्ट कॉपी (ऐक्सल शीट) एवं हार्डकॉपी डाक द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रपत्र 'अ'

दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थो के निरीक्षण एवं नमूनीकरण की सूचना प्रपत्र							
जिले/जोन का नामः–..............................					माहः–..............................		
क्र० सं०	नमूनीकरण/ निरीक्षण किये जाने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	नमूनीकरण/ निरीक्षण किये गये प्रतिष्ठान का नाम व पूर्ण पता	दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ का नाम	नमूना कोड/ क्रमांक	निरीक्षण मे पाई गई कमी का विवरण	नष्ट/सीज करवाये गए माल का विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र 'ब'

दूध एवं दूध से निर्मित खाद्य पदार्थो के निरीक्षण एवं नमूनीकरण का वर्षवार प्रगति प्रतिवेदन										
जिले/जोन का नामः–..										
क0 सं0	वर्ष	निरीक्षण की संख्या	नमूनीकरण की संख्या	मिलावटी पाये गये प्रकरण				माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का विवरण		
				मिसब्राण्डेड	सबस्टेण्डर्ड	अनसेफ	कुल	लम्बित	निर्णित	सजा/जुर्माना राशि
1	05.08.2011 से 31.12.2011									
2	2012									
3	2013									
4	2014									
5	2015									
6	2016									
7	2017									
8	2018 (अभी तक)									
	कुल									

11.4.18

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर
दिनाँकः– 11/4/18

क्रमांकः– एफएसएसए/2017/321
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान।
4. अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
5. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा0) मुख्यालय।
6. मुख्य खाद्य विश्लेषक, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर। chief.public.analyst@gmail.com
7. खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर, अलवर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा।
8. प्रभारी, केन्द्रीय दल (खाद्य सुरक्षा), मुख्यालय।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि सम्बंधित को ईमेल कर विभाग की वेबसाईट पर भी अपलोड करे।
10. रक्षित पत्रावली।

11.4.18

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर